बिहार सरकार
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय)

अल्पकालीन निविदा

चन्द्रगुप्त जलविहार तरणताल, मोईनुलहक स्टेडियम, पटना के संचालन हेतु निविदा

मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना – 800016 के अंतर्गत चन्द्रगुप्त जलविहार तरणताल का संचालन तथा तरणताल के परिसर में अवस्थित सामानों/उपकरणों की सुरक्षा, रख–रखाव, तरणताल के लिए अनुमान्य/निर्धारित रसायनों से साफ–सफाई निम्नवत् कर्मियों के द्वारा कराने के लिए निबंधित निजी फर्मों/संस्थानों से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। इसमें अनिवार्यतः न्यूनतम निम्न संख्या में व्यक्ति रखने होंगे :–

1. (1).प्रबंधक, (2).तैराकी हेतु तीन प्रशिक्षक–सह–लाईफगार्ड (एक महिला एवं दो पुरूष), (3) इलेक्ट्रीशियन–सह–प्लांट ऑपरेटर, सफाई कर्मी, गार्ड, एक प्रत्येक शिफ्ट (दिन में तीन शिफ्ट) तथा माली।
2. निविदा में न्यूनतम दर देने वाले एजेन्सी को कार्य आवंटित करने पर विचार किया जायेगा। चयनित निविदादाता को प्राधिकरण के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
3. अप्रैल, 2020 से अक्टूबर, 2020 तक तरणताल के संचालन हेतु निविदा में मासिक दर देना होगा। तरणताल का संचालन दिनांक 01.04.2020 से 31.10.2020 तक करना अनिवार्य होगा।
4. वित्तीय निविदा वाले लिफाफे में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर से
   (i) कर्मियों की संख्या के साथ मासिक दर, तरणताल का संचालन (अप्रैल, 2020 से अक्टूबर, 2020 तक)
   (ii) दिनांक 01.11.2020 से 31.03.2021 मात्र चन्द्रगुप्त जल विहार परिसर के रख–रखाव एवं सुरक्षा हेतु कर्मियों की संख्या सहित निविदा में अलग–अलग मासिक दर देना होगा।
5. चयनित निविदादाता तरणताल के सामग्रियों/उपकरण का प्रभार प्राधिकरण से प्राप्त करेंगे तथा निविदा अवधि की समाप्ति/कार्यमुक्त करने के पश्चात् सभी सामग्रियाँ/उपकरणों को सही सलामत पूर्व स्थिति में प्रभार वापस सुपुर्द करना अनिवार्य होगा।
6. एजेन्सी को अनुमोदित/निर्धारित दर का भुगतान प्रतिमाह बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
7. तरणताल में स्पोर्ट्स मैन सहित पुरूष, महिला, बालक, बालिकाओं के लिए सीजनल/मासिक/दैनिक शुल्क का निर्धारण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा सभी शुल्क बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा होगा।
8. तरणताल का सदस्य बनाने/योग्यता एवं अर्हंता निर्धारित करने/टैरिफ निर्धारित करने तथा समय सारणी बनाने का बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को अधिकार होगा।
9. तरणताल का उपयोग तैराकी खेल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकेगा।
10. उपर्युक्त कंडिका 7,8,9 से निविदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति/संस्था का इस से कोई ताल्लुक नहीं है।
11. चन्द्रगुप्त जलविहार तरणताल में विद्युत का खर्च निविदादाता को निर्वहन करना होगा। विद्युत विपत्र का प्रतिमाह ससमय भुगतान करना अनिवार्य होगा।
12. उपर्युक्त शर्त्त के कंडिका (1) में कार्यरत कर्मियों का भुगतान चयनित निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

शर्ते –

1. एकरारनामा की अवधि अप्रैल, 2020 से अक्टूबर, 2020 तक एवं नवम्बर 2020 से मार्च 2021 तक के लिए रहेगी, परन्तु कार्य के असंतोषजनक/संतोषजनक रहने के आधार पर अवधि घटायी/बढ़ायी जा सकती है। मोईनुल हक स्टेडियम, पटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम के रूप में निर्माण के लिए किसी मान्यता प्राप्त खेल संगठन/संस्था के साथ विभाग का मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैण्डिंग होता है, तो वैसी स्थिति में चन्द्रगुप्त जलविहार की उपयोगिता पर विचार कर एकरारनामा में संशोधन करने पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा। चयनित निविदाकर्त्ता का कार्य संतोषजनक रहने पर उनके अगले वित्तिय वर्ष के लिए अवधि विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है जो अनिवार्यता नहीं होगी।

2. चयनित निविदादाता के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी तरणताल में सरकारी रूप में नियुक्त नहीं माने जायेंगे और न ही कर्मी भविष्य में इसका दावा करेंगे।

3. फर्म/एजेन्सी का बिहार शॉप्स एण्ड स्टैबलिस्टमेन्ट एक्ट 1953/बिहार सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत निबंधित होना चाहिए तथा उन्हें निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र, सेवा शुल्क दाता, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, इ.पी.एफ./इ.एस.आई. नम्बर एवं फर्म के आयकर रिटर्न की छायाप्रति के साथ ही जमानत राशि ₹ 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) मात्र बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के नाम से देय होगा, संलग्न करना होगा।

4. मुहरबंद निविदा के लिफाफे पर कार्य का नाम, फर्म/एजेन्सी का नाम, निबंधन संख्या एवं पता अवश्य अंकित होना चाहिए। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में रख कर मुहरबंद करना होगा। शर्त्तों की कंडिका (3) में वांछित कागजात तकनीकी लिफाफे में रहेंगे।

5. निविदा निदेशक–सह–सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना – 800016 के कार्यालय में दिनांक 16.03.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त की जायेगी एवं दिनांक 17.03.2020 को अपराह्न 3:00 बजे गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा।

6. निविदादाता इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी एवं श्रम कानूनों के अनुरूप कार्य/भुगतान करने की पूरी जिम्मेवारी उन पर होगी।

7. निदेशक–सह–सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे बिना कोई कारण बताए किसी चरण में निविदा को अस्वीकृत कर सकेंगे।

8. इस निविदा से संबंधित किसी भी तरह की सूचना एवं निविदा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

9. सम्पत्ति में क्षति की स्थिति में फर्म/संस्था को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

10. इस क्षेत्र में न्यूनतम 02 साल कार्यानुभव वाले फर्म/संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी एवं सक्षम प्राधिकार को इस आशय का प्रमाण पत्र भी देना होगा।

11. तरणताल के तैराकों की सुरक्षा का पूरा दायित्व चयनित निविदाकर्ता का होगा।

12. चयनित निविदाकर्त्ता द्वारा प्रतिनियुक्त प्रशिक्षक एवं लाइफगार्ड के अवकाश अवधि में दक्ष प्रशिक्षक एवं लाइफगार्ड (महिला एवं पुरूष) की व्यवस्था रखने की पूर्ण दायित्व एवं जबावदेही चयनित निविदाकर्त्ता की होगी।

28.2.20

(आशीष कुमार सिन्हा बि.प्र.से.)
निदेशक–सह–सचिव
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण
पटना।